

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com, ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 590 / 12-1 अल्मोड़ा, दिनांक, 17.08.2015.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

विषय :- देवलधार - माईथान - गिरेछीना मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव संख्या 10903/2015)।

संदर्भ :- नोडल अधिकारी द्वारा लगायी गयी आपत्ति दिनांक 15.08.2015।

महोदय,

उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण का ऑन-लाइन प्रस्ताव संस्तुति सहित नोडल अधिकारी को भेजे जाने पर उनके द्वारा इस प्रस्ताव में निम्न आपत्तियां सूचित की गयी है-

1. The legal status of forest area does not add up to the total forest area proposed
2. Please review serial nos. 5, 6 and 8-i of Form A Part II entered by DFO.

3. SIR of DFO mentions that the forest area requirement is not minimum and unavoidable

4. उपरोक्त के अतिरिक्त परियोजना में प्रभावित होने वाले 0-10 एवं 10-20 व्यास श्रेणी के वृक्षों की सूची भी प्रस्तुत की जाय।

उक्त आपत्तियों को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया आपत्तियों का निराकरण कर तत्काल कर बिन्दुवार आख्या इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ताकि इसे नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जा सकें।


संरक्षक प्रशासनिक अधिकारी
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा.

भवदीय

(प्रेम कुमार)
वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।